Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **गोगुन्दा जिला उदयपुर में सहायक लेखाधिकारी 5,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 30 मई, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपिया श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, वत्त गोगुन्दा, महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर को स्वंय के कार्यालय में कुल **5,000/- रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि दिनांक 21.05.2025 को एसीबी चौकी उदयपुर को एक शिकायत इस आशय कि प्राप्त हुई थी कि परिवादिया एव सहपरिवादिया महिला एवं बाल विकास विभाग तहसील गोगुन्दा में आंगनबाडी कार्यकर्ता है एवं उन्हे माह अक्टूबंर 2024 से अब तक उनका वेतन/मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा इस संबंध में निरन्तर श्रीमती नूतन शाह सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, वत्त गोगुन्दा से संपर्क किया जा रहा है परन्तु श्रीमती नूतन शाह द्वारा कोई न कोई कारण बताकर वेतन/मानेदय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विगत तीन-चार दिनों से श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी द्वारा परिवादिया एवं सहपरिवादिया से अलग-अलग 4500/- रूपये (कुल 9000/-रूपये) की रिश्वत की राशि देने का दबाव दिया जा रहा है एवं इस संबंध में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, वृत्त गोगुन्दा पर बुलाया जा रहा है। परिवादिया द्वारा दी गई सूचना का श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर चौकी द्वारा सत्यापन करवाया गया तो आरोपिया श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई तथा सत्यापन के दौरान आरोपिया श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी द्वारा परिवादिया एवं सहपरिवादिया से अलग-अलग 2,000/- (कुल 4,000/-रूपये) रिश्वत के रूप में प्राप्त किये गये।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीना** के सुपरविजन में एसीबी चौकी उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री नरपत सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिता श्रीमती नूतन शाह, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, वृत्त गोगुन्दा, महिला एवं बाल विकास विभाग उदयपुर को स्वंय के कार्यालय में कुल 5,000/- रूपये की रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपिया से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।